

<u>प्रेस नोट</u> जनपद सीतापुर

सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना रेउसा से सम्बन्धित मु030सं0 851/09 धारा 8/18/21 एन.डी.पी.एस एक्ट बनाम विजय कुमार मिश्रा उर्फ पुत्र वकील पुत्र रामलखन मिश्रा निवासी ग्राम कोड़वा धमधमपुर थाना रेउसा सीतापुर में रेउसा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 19.02.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय श्रीमान ए.एस.जे-12 सीतापुर द्वारा अभियुक्त विजय उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 8/18/21 एन.डी.पी.एस एक्ट में 01 वर्ष एवं 2,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

-----O------